



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, अल्मोड़ा



E-mail-eeedalmorapwd@rediffmail.com

Ph. No.- 05962-230091

पत्रांक 1357 / 3सी0 (वनभूमि)

दिनांक 19 / 06 / 2018

सेवा में,
प्रभागीय वनाधिकारी
सिविल एवं सोयम
वनप्रभाग, अल्मोड़ा।

विषय:- माननीय मुख्य मंत्री धोषणा 890/2014 के अन्तर्गत जनपद अल्मोड़ा में जमराड़ी बैण्ड से बेलवाल गाँव तक मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 3.00 किमी0) FP/UK/ROAD/15129/2015)।

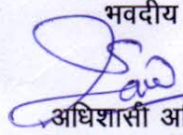
संदर्भ:- पत्राक मैमो/12-1/दिं0 18-01-2018।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत करना है कि नोडल अधिकारी देहरादून द्वारा 4 बिन्दुओं पर आपत्ति लगायी गयी है जिनका आनलाइन निराकरण कर आनलाइन प्रेषित किया जा रहा है जो निम्नवत है-

1-Provide separate component wise break up in B- 2.4 as in following way:- a- Road. b- Muck dumping.	मोटर मार्ग का क्षेत्रफल व मक डिस्पोजल प्लान का कापौनेन्ट बाइज ब्रेकअप पार्ट 1 B-2.4 में अंकित कर आनलाइन कर दी गयी है।
2. Authority letter uploaded in part-1 has not been issued in favour of person making the online application on the behalf of the user agency.	आर्थराइटी लैटर पार्ट 1 के सीरीयल नं0 (XVII) में आनलाइन कर दी गयी है।
3. Name of two villages i.e Belwal Gaon & Chhana Jamrani has been mentioned in the village wise breakup of forest land given in para-B-2.3 of online Part-1 but the proceedings of the village Level Committee meeting under FRA has been uploaded for Belwal Gaon only in para-K of online Part-I.	ग्राम बाइज ब्रेकअप में बेलवाल गाँव और छाना जमराड़ी की भूमि अंकित है तथा वनाधिकार अधिनियम 2006 के प्रमाण पत्र में ग्राम स्तरीय समिति में बेलगाँव तथा ग्राम छानाजमराड़ी ग्राम पंचायत बूंगा के अन्तर्गत आती है इसलिए ग्राम पंचायत बूंगा की ग्राम बाइज समिति का प्रमाण पत्र आनलाइन पार्ट 1 के सीरीयल K में आनलाइन कर दी गयी है।
4. Emploment details have not been given in para-E of online Part-I.	इम्पोलइमेन्ट डिटेल् पार्ट 1 के पैरा E में आन लाइन कर दी गयी है।

भवदीय


अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0विभाग,
अल्मोड़ा